



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 12.10.2025

1. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा निर्माणाधीन मकानों से सामान चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की 35 टोंटियां (समस्त पीतल व स्टील), 01 मोबाइल फोन व 02 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 12.10.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से निर्माणाधीन मकानों से सामान चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1-उत्तम राजपूत पुत्र रोशन राजपूत 2-सन्नी पुत्र रामपाल को थाना क्षेत्र के ईटा-1 पत्थर पार्क से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से निर्माणाधीन मकानों से चोरी की गई 35 टोंटियां, एक सैमसंग का मोबाइल फोन व 02 अवैध चाकू बरामद किये गये हैं ।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह घूम-फिरकर निर्माणाधीन मकानों से टोंटियां चोरी करके बेच देते हैं तथा वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के मोबाइल फोन आदि भी चोरी कर लेते हैं ।

अभियुक्तों का विवरण--

1. उत्तम राजपूत पुत्र रोशन राजपूत निवासी ग्राम धौली शेरा, थाना जौल जीवी, जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड वर्तमान निवासी ग्राम छलेरा, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष ।
2. सन्नी पुत्र रामपाल निवासी ग्राम भवानीपुर, थाना दादो, जिला अलीगढ़ वर्तमान निवासी ग्राम नटमढैया, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

⇓ अभियुक्त उत्तम--

1. मु0अ0सं0 595/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक तृतीय, गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 172/2024 धारा 414 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 251/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0 253/2024 धारा 411/414 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर ।

5. मु0अ0सं0 38/2025 धारा 317(5) बीएनएस व धारा 4/39/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर ।
6. मु0अ0सं0 593/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर ।

⇓ **अभियुक्त सन्नी--**

1. मु0अ0सं0 320/2025 धारा 60 आब0अधि0 थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 329/2025 धारा 60 आब0अधि0 थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 357/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0 461/2025 धारा 60 आब0अधि0 थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर ।
5. मु0अ0सं0 593/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर ।
6. मु0अ0सं0 595/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक तृतीय, गौतमबुद्धनगर ।

⇓ **बरामदगी का विवरण--**

1. 01 मोबाइल फोन सैमसंग
2. 35 टोंटियां (पीतल व स्टील)
3. 02 चाकू